(19)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 225972 पटना, दिनांक 30/03/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(अ0का0यो0)-102-04/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभुकों को P-FMS प्रणाली के माध्यम से सहायता राशि के हस्तांतरण हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) का आवास सॉफ्ट पर निबंधन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व से ही विभाग द्वारा यह निदेश दिया जाता रहा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से इंदिरा आवास के लाभुकों को सहायता राशि का हस्तांतरण e-FMS के माध्यम से किया जायेगा । इसके लिए मेकर एवं चेकर का Digital Signature तैयार करने हेतु सभी लेखा सहायक (इंदिरा आवास) का आवेदन पत्र भेजने का निदेश दिया गया था ।

उपर्युक्त के संबंध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से दूरभाष पर प्राप्त परामर्शानुसार इंदिरा आवास के लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2015-16 अर्थात 01.04.2015 से P-FMS के माध्यम से सहायता राशि का हस्तांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके लिए दिनांक 31.03.2015 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को अपना मोबाईल नं0 आवास सॉफ्ट पर निबंधित करना होगा । निबंधन के पश्चात् उन्हें उनके मोबाईल पर एक Password प्राप्त होगा जिससे वे P-FMS का Login कर लाभुकों को सहायता राशि का हस्तांतरण करने में उपयोग कर सकेंगे ।

अतः अनुरोध है कि विषय की महत्ता को देखते हुए हर हाल में दिनांक 31.03.2015 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) का Mobile Number आवास साफ्ट पर रजिस्टर कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि लाभुकों के बैंक खाता जो आवास साफ्ट पर रजिस्टर किया गया है अथवा आगे रजिस्टर किया जाना है, को दिनांक 31.03.2015 तक Freeze किया जाय ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार
27.3.15

(प्रदीप कुमार)
सरकार के सचिव